बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

बुधवार, तिथि १८ सितम्बर, १९६३।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १८ सितम्बर, १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

सभा नियमावली के नियम "८९" के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना।

श्री दीनानारायण सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहारविधान-सभा के चतुर्थ सत्र (फरवरी-अप्रील), १९६३ के शेष ५६७ अतारांकित प्रश्नों में से १२३ प्रश्नों के लिखित उत्तरों को सभा की मेज पर रखता हूं।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

पटना म्यूजियम को फटी छत की मरम्मत।

३। श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या सरकार का ध्यान पटने से प्रकाशित हिन्दी दैनिक के दिनांक ३० अगस्त १९६३ के अंक में प्रकाशित "पटना म्यूजियम की फटी छत साल भर बाद भी नहीं बनी" शीर्षक समाचार की ओर गया है ;

(२) छत फटने का पता म्यूजियम के भार-साधक अधिकारी को कब लगा और उन्होंने इसकी मरम्मत के लिये क्या कदम उठाया ;

(३) अभी वस्तुस्थिति क्या है और सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है ?

श्री कमलदेव नारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) पटना म्यूजियम के कार्यकारी अध्यक्ष ने म्यूजियम की छत फटने की सूचना दिनांक ४ अप्रील १९६३ को कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय अंचल, लोक-निर्माण विभाग को दिया। उसके बाद उन्होंने दिनांक १५ अप्रील, १९६३, १९ अप्रील, १९६३, २५ मई, १९६३, ३ जुलाई, १९६३ एवं ३१ जुलाई, १९६३ को स्मार-पत्र भी दिया। सरकार के पुरातत्व-विभाग ने भी मुख्य-अभियंता, लोक-निर्माण विभाग से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध २५ अप्रील १९६३ को किया। मुख्य-अभियंता, लोक-निर्माण विभाग ने २० मई, १९६३ को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिये कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय-अंचल को एक अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखा।

(३) दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ से लोक-निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया गया जो अभी जारी है।

रामगढ़ प्रखंड के अन्तर्गत नोनीहाट उच्च विद्यालय के आदिवासी और हरिजन छात्रों के बीच वितरण करने के लिये क्रमशः ५४० रु० तथा ४० रु० दिनांक १६ मार्च, १९६३ को प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के पास भेजा था।

(२) यह बात सही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ ने उक्त छात्रवृत्ति के विपत्रों को न भुनाकर पुनः तिथि २० मार्च, १९६३ को जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में वापस कर दिया था।

(३) प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ ने यह लिखते हुए विपत्र वापस किया था कि छात्रों में छात्रवृत्ति वितरण करना उस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं था, किन्तु बाद में कहने पर कि अपने अन्य कार्य-क्रम के सिलसिले में वितरण करें तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने विपत्र वापस ले लिये और कोषागार से निकासी कर छात्रों को भुगतान कर दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ को ताकिद कर दिया गया है।

चालक के लिये निवास स्थान।

५४। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, राजनीति (परिवहन) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला में राज्य परिवहन के चालकों, उप-चालकों, तथा खलासियों को रात्रि का समय व्यतीत करने के लिये कहीं निवास स्थान नहीं है;

(२) क्या यह बात सही है कि मकान के अभाव में उनको गाड़ियों पर ही रात्रि व्यतीत करनी पड़ती है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चालक, उप-चालक के रात्रि में निवास के लिये प्रबन्ध करने का विचार करती है?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) मुंगेर जिले में राज्य परिवहन के चालकों, उप-चालकों तथा खलासियों को रात्रि का समय व्यतीत करने के लिये मुंगेर तथा जमुई डीपो में निवास स्थान की व्यवस्था है। खड़गपुर, सग्रामपुर, लक्खीसराय, सिकन्दरा और अरहा आदि स्थानों में रात्रि में बहुत कम गाड़ियां ठहरती हैं। इन स्थानों पर अभी फिलहाल में कोई विश्रामागार नहीं है।

(२) उक्त स्थानों में जहां विश्रामागार की व्यवस्था नहीं हो पायी है, कर्मचारीगण गाड़ियों में ही रात्रि व्यतीत करते हैं।

(३) विभिन्न स्थानों में विश्रामागार के लिये भूमि अर्जित करने की कार्रवाई की गई है तथा विश्रामागार निर्माण करने की योजना विचाराधीन है।

छात्रवृत्ति मिलने में देर।

५५। श्री राम कृष्ण राम—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री दशरथ राम दुसाध, दशम् वर्ग, श्री शंकर उच्चतर विद्यालय, तकिया, जिला शाहाबाद ने गत् वर्ष छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र दिया था;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री दशरथ राम दुसाध को चौथे वर्ग से ही यानी जुनियर वेसिक स्कूल, शिवपुर चितौरी में ४ रु० ८५ न०पै० प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती आ रही थी ;

(३) क्या यह बात सही है कि जबसे उक्त छात्र श्री शंकर उच्चतर विद्यालय में आया तब से छात्रवृत्ति नहीं मिली है ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अकारण छात्रवृत्ति बन्द हो जाने का कारण क्या है ;

(५) क्या सरकार उक्त गरीब हरिजन छात्र को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर, आगे की पढ़ाई में मदद करने को सोचती है ; यदि नहीं, तो क्यों ; यदि हां, तो कबतक ?

श्री भोला पासवान—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) श्री दशरथ राम को केवल एक ही बार १९५७-५८ में ४ रु० ८५ न० पै० की राशि लघु अनुदान के रूप में दिया गया था उसके बाद उन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गयी थी ।

(३) हां, यह बात सही है क्योंकि छात्रवृत्ति समिति उन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की थी ।

(४) इसका उत्तर खंड (२) तथा (३) के उत्तर में सन्निहित है ।

(५) छात्र का आवेदन-पत्र निश्चित तिथि के बाद दिनांक २५ फरवरी, १९६३ को प्राप्त हुआ है जिसे छात्रवृत्ति समिति की अगली बैठक में पेश किया जायेगा ।

हरिजन छात्रवृत्ति का वितरण ।

५६ । श्री गोविन्द राम—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति इस राज्य में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बंटती थी जिसके संचालक डिस्ट्रिक्ट कल्याण ऑफिसर तथा हरिजन मेम्बर रहते थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत उसका वितरण किया जाता था ;

(२) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी तथा प्रबंधकारिणी समिति द्वारा उसका अब वितरण होता है ;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसके सही वितरण के लिये हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के ही लोगों को वितरण करने का पुनः अधिकार प्रखंड में भी देने का विचार रखती है ?

श्री भोला पासवान—(१) हां, लेकिन संबंधित जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष एवं संयोजक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी मंत्री होते थे । जिला हरिजन छात्रवृत्ति समिति में हरिजन जाति के गैर-सरकारी सदस्य रहते थे तथा पिछड़ी जाति में पिछड़ी जाति के गैर-सरकारी सदस्य रहते थे ।